

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 476/2023

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

- 1-काकासिंह पुत्र खेतासिंह जाति जटसिख
- 2-समरजीतकौर पत्नी काकासिंह जाति जटसिख
- 3-गुरप्रीतसिंह पुत्र काकासिंह जाति जटसिख

निवासीगण हरिपुरा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
हाल आबाद बटिण्डा

-वादीगण-

बनाम

- 1-नल्थुराम पुत्र खिराजराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया
- 2-किशनसिंह पुत्र महलासिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया
- 3-गुरचन्दसिंह पुत्र महलासिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया
- 4-छोटूसिंह पुत्र महलासिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया
- 5-निहालकौर पत्नी वीरसिंह गति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया
- 6-सरवनसिंह पुत्र निकासिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया
- 7-जगसीरसिंह पुत्र सुरजीतकौर पत्नी जीतसिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा
- 8-ओबीसी/पीएनबी बैंक शाखा हरिपुरा जरिये मैनेजर।
- 9-तहसीलदार राजस्व संगरिया

-प्रतिवादीगण

दिनांक :- 4-9-2025

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू

हमारे बहाने श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादी मिन जांमिन मुदई श्री मिन जानिब मुदायला

पेश कर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

काशतकार का नाम मय बल्दियत व सकुनात	चक/खाता नं./खाते का योग	सम्बन्धित काशतकार का राजस्व रिकार्ड अनुसार हि.	कब्जा काशत अनुसार काशतकार का विरण
काकासिंह पुत्र खेतासिंह हि. 1/4 जाति जटसिख साकिन हरिपुरा राहिन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा हरिपुरा गुरप्रीत सिंह पुत्र काकासिंह हि. 58/1265 जाति जटसिख साकिन हरिपुरा खातेदार समरजीत कौर पत्नी काकासिंह हि. 1/4 जाति जटसिख सा.हरिपुरा	चक 4 एचआरपी खाता नं. नम्बर 13/4 5.060 है.	कुल 2.762 हे.	1. काकासिंह पुत्र खेतासिंह हि. 253/970 जाति जटसिख साकिन हरिपुरा राहिन पीएनबी हरिपुरा 2. गुरप्रीत सिंह पुत्र काका सिंह हि. 232/485 जाति जटसिख सा. हरिपुरा खातेदार 3. समरजीत कौर पत्नी काका सिंह हि. 253/970 जाति जटसिख साकिन हरिपुरा खातेदार 187/113 (36) 11/0.253, 20/0.253, 21/0.253, 187/114 (45) 1/0.253, 2/0.253, 9/0.253, 10/0.253, 11/0.253, 12/0.253, 13/0.253, 19मि./0.0630 186/114 (46) 6 मि./0.2345 है कुल 2.8275 है.
गुरप्रीत सिंह पुत्र काकासिंह हि. 284/619 जाति जटसिख साकिन हरिपुरा	चक 4 एचआरपी खाता नं. नम्बर 14/12 0.619 है.	0.2840 है.	1. गुरप्रीत सिंह पुत्र काका सिंह हि. 284/619 जाति जटसिख सा. हरिपुरा खातेदार 186/114 (46) 7 मि./0.2345 कुल 0.2345 है.

महाराष्ट्र कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

1. सरजीत कौर जीतसिंह हि. 257/1265 जाति जटसिख साकिन हरिपुरा खातेदार	13/5.600 है.	2.108	1. सुरजीत कौर पत्नी जीत सिंह जटसिख साकिन हरिपुरा खातेदार 186/113 (35) 14/0.2530, 15/1/0.2280, 15/2/0.025, 16/1/0.2280, 16/2/0.025, 17/0.2530, 18/0.2530,24/0. 2530, 25/1/0.2280, 25/2/0. 025 186/114(46) 5/0.2530, 6 मि./0.0185 कुल 2.0425 है.
1. किशन सिंह पुत्र महला सिंह हि. 198/619 जाति जटसिख साकिन हरिपुरा खातेदार 2. गुरचन्द सिंह पुत्र महला सिंह हि. 198/619 जाति जटसिख साकिन हरिपुरा खातेदार 3. छोटू सिंह पुत्र महला सिंह हि. 199/619 जाति जटसिख साकिन हरिपुरा खातेदार 4. निहाल कौर पत्नी वीर सिंह हि. 605/619 जाति जटसिख साकिन हरिपुरा खातेदार 5. सुरजीतकौर पत्नी जीत सिंह हि. 253/619 जाति जटसिख साकिन हरिपुरा खातेदार 6. सरवन सिंह पुत्र निकासिंह हि. 595/619 जाति जटसिख साकिन हरिपुरा खातेदार	14/0.6190 है.	कुल 0. 3350 है.	1. किशन सिंह पुत्र महला सिंह हि. 198/2048 जाति जटसिख साकिन हरिपुरा खातेदार 2. गुरचन्द सिंह पुत्र महला सिंह हि. 198/2048 जाति जटसिख साकिन हरिपुरा खातेदार 3. छोटू सिंह पुत्र महला सिंह हि. 199/2048 जाति जटसिख साकिन हरिपुरा खातेदार 4. निहाल कौर पत्नी वीर सिंह हि. 605/2048 जाति जटसिख साकिन हरिपुरा खातेदार 5. सुरजीतकौर पत्नी जीत सिंह हि. 253/2048 जाति जटसिख साकिन हरिपुरा खातेदार 6. सरवन सिंह पुत्र निकासिंह हि. 595/2048 जाति जटसिख साकिन हरिपुरा खातेदार 186/113 (35) 23/2/0.1130 है. 186/114 (46) 4/0.2530, 7 मि./0.0185 कुल 3845 है.
1. नत्थूराम पुत्र खिराजराम हि. 19/506 जाति कुम्हार साकिन हरिपुरा खातेदार	13/2.0600 है.	कुल 0. 1900	1. नत्थूराम पुत्र खिराजराम हि. 199/619 जाति कुम्हार साकिन हरिपुरा खातेदार 187/114 (45) 19 मि./0.1900 कुल 0.1900 है.



अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशांषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/3358 दिनांक 13.08.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दि या जावे।

निज......मुब्लिक......बाबत......खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक......को अदा करे।

बसबत मेरे दस्ताखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 4-9-2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कमिश्नर एवं
उपसहायक अधिकारी
संगरिया